न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 117/2019

1 गुलाबराम पुत्र छगनलाल।
2 मालीराम पुत्र छगनलाल।
3 रतनलाल पुत्र छगनलाल।
4 निरंजनलाल पुत्र छगनलाल।
5 मुकेश पुत्र चौथमल।
6 बनारसी देवी पत्नी चौथमल समस्त जाति जोगी निवासीगण पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र रूड़ाराम।
2 भागीरथ पुत्र डालुराम।
3 सुल्तान पुत्र डालुराम।
4 फूल देवी पत्नी डालुराम।
5 नेकीराम पुत्र रतना।
6 गिरधारी पुत्र रतना।
7 सांवरमल पुत्र रतना।
8 कमला पुत्र रतना।
9 कैलाशचन्द पुत्र मुरली।
10 बनवारीलाल पुत्र मुरली।
11 सुभाष पुत्र मुरली।
12 गुलाबी देवी पत्नी मुरली।
13 राजू देवी पत्नी सांवरमल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 सुनिल पुत्र सांवरमल।
15 अनिल पुत्र सांवरमल।
16 सुरजा पुत्र सांवरमल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी गंगासागर तन विजयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
17 गिरधारी पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
18 पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जरिये मैनेजर।
19 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रींगस जरिये मैनेजर।
20 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।
21 रमेश कुमार पुत्र प्रहलाद।
22 विमल पुत्री प्रहलाद।
23 सरोज पुत्री प्रहलाद।
24 प्रेम पुत्री प्रहलाद।
25 मन्जू पुत्री प्रहलाद समस्त जाति जोगी निवासीगण पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 29/2018 उनवानी जगदीश बनाम गुलाबराम वगैरह आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 11.10.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सरदार सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 16 द्वारा विरूद्व अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 ता 25 के विरूद्व एक आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके अनुसार अभिकथन किये गये कि भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 1.26 हैक्टर ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कांसरडा तहसील खण्डेला में अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण काबिज, खातेदार, काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 1006,1007,1008,1009 किता 4 कुल रकबा 4.61 हैक्टर ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कासरडा तहसील खण्डेला में अवस्थित है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 काबिज खातेदार, काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 1.26 हैक्टर में आवागमन का रास्ता जो कि ग्राम सोंथलिया से पटवारी का बास जानी वाली सड़क पर भूमि खसरा नम्बर 1009. 1008.1007.1006 की पश्चिमी सीमा के अन्दर से सहारे सहारे होता हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि खसरा नम्बर 983 में जाने का रास्ता 12 फुट चौड़ा रास्ता है। जिसको नजरी नक्शा में वर्णितानुसार बरंग लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिससे होकर प्रार्थीगण कदीम से आवागमन करते आ रहे है। अपने साधन ट्रेक्टर, ट्रोली जीप व लडढा आदि व कृषि साधन ले जाते है। उक्त प्रस्तावित रास्ता जो कि नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार ही कानूनन 12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विचारण न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस के नोटिसों पर तामील कुनिन्दा द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 16 से मिलकर कतई गलत रिपोर्ट पेश की गई है। तामील कुनिन्दा नोटिस लेकर अपीलांटस के घर पर कभी नहीं गया। रेस्पोडेन्ट संख्य 1 ता 16 के गिरोह के लोगों के हस्ताक्षर करवाकर अवैध रूप से चस्पांदगी तहसील कार्यालय में बैठकर ही की गई है। अपीलांटस अपने घर पर ही मौजूद रहते है। नोटिस पर तारीख व समय ही अंकित नहीं है न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामीलकर्ता एवं गवाहान के बयान हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत किये जाने के बाद आदेशिका में आगामी तारीख पेशी 24.09.2018 दिए जाने के पश्चात पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पत्रावली को तारीख पेशी 12.02.2019 में लेकर आदेश पारित किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय ने मनमर्जी से पत्रावली में आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वार तहसीलदार खण्डेला से रिपोर्ट मांगी गयी थी, जबकि प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाकर आई एल आर से प्राप्त रिपोर्ट को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर भी अपीलांटस को किसी तरह की आपत्ति एतराज प्रस्तुति का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 16 के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य पत्रावली पर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मौजूद होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत अपीलाधीन आदेश माध्यम से अपीलांटस के खेतों में रास्ते बाबत आदेश पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.08.2018 एवं 27.05.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 10, 11 की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु विचारणीय नहीं रह जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट आई एल आर द्वारा तैयार की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में आई एल आर की रिपोर्ट को वैधानिक माना गया है। वरवक्त अपील प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से मौके पर निर्णय की पालना में रास्ता चालु होना प्रमाणित होता है। अपील की पत्रावली में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 से भी मौके पर रास्ता चालु होना प्रकट होता है। आई एल आर की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि खसरा नम्बर 983 के खातेदारान हेतु खसरा नम्बर 1006 से 1009 की सीमा पर रास्ता दिया जाना निकटतम व लघुतम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2018(1) पेज 706, आर आर टी 2019(1) पेज 574, आर आर टी 2019(2) पेज 1098, आर आर टी 2016(2) पेज 1149, आर आर टी 2020(2) पेज 1163 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.08.2018 एवं 27.05.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 10, 11 की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
एडेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु विचारणीय नहीं रह जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट आई एल आर द्वारा तैयार की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में आई एल आर की रिपोर्ट को वैधानिक माना गया है। वरवक्त अपील प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से मौके पर निर्णय की पालना में रास्ता चालु होना प्रमाणित होता है। अपील की पत्रावली में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 से भी मौके पर रास्ता चालु होना प्रकट होता है। आई एल आर की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि खसरा नम्बर 983 के खातेदारान हेतु खसरा नम्बर 1006 से 1009 की सीमा पर रास्ता दिया जाना निकटतम व लघुतम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर